


162



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०



R 25-17

श्याम आर्क्षी संस्कार जन शिक्षा संस्थान समिति रत्हरा रीवा  
द्वारा अध्यक्ष राज कुमार वाजपेयी तनय श्री श्याम किशोर वाजपेयी  
एड० उम्र 48 साल, निवासी रत्हरा, तह० हजूर जिला रीवा म०प्र०

-- निगरानी की

बनाम

- 1:- सरपंच ग्राम पंचायत पुरैना , तह० हजूर जिला रीवा म०प्र०
- 2:- सचिव, ग्राम पंचायत पुरैना, तह० हजूर जिला रीवा म०प्र०

-- गैर निगरानी की  
गण

श्री श्याम आर्क्षी द्वारा आज दि. 6-3-17  
प्रस्तुत

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार  
ता० तह० हजूर के राजस्व प्र० न० 25/ए70/  
16-17 मे पारित आदेश दि० 03-3-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू रा० सं०  
1959 ई०

S Belapurkar  
1-17

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-825-दो / 2017

जिला-रीवा

श्याम आदर्श संकार जन शिक्षण संस्थान समिति विरुद्ध सरपंच व सचिव

| स्थान तथा दिनांक                    | कार्यवाही तथा आदेश   | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर         |
|-------------------------------------|--|--|
| <del>19-02-2019</del><br>20-02-2019 | <p>आवेदक की ओर से श्री एस.के. वाजपेयी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सा.तह. हुजूर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 25/ए70/2016-2017 में पारित आदेश दिनांक 01-03-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 18-4-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> | <p>(आर.के. जैन)<br/>सदस्य</p> <p>20/2/19</p> |